



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 537 राँची, मंगलवार,

2 दिसम्बर, 2025 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

16 अक्टूबर, 2025

सं.सं.: 31-वित्त/12-16FC-रा0वि0आ0प्रति0/2025/2519/वि0 --

विषय: पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रथम प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में ।

पंचम राज्य वित्त आयोग का गठन भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 (I) सह पठित 243 (Y) के अनुपालन तथा झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 114 (1) एवं झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 97 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या-526/वि0 दिनांक 23.02.2024 द्वारा किया गया। पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वारा दिनांक 12.03.2025 को प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया। राज्य सरकार द्वारा विकास आयुक्त, झारखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर आयोग की अनुशंसाओं पर अग्रतर अपेक्षित कार्रवाई संबंधी सुझाव गठित करने के लिए निदेशित किया गया। उक्त समिति के द्वारा सुझाव गठित कर दिनांक 25.08.2025 को उपलब्ध कराया गया है ।

पंचम राज्य वित्त आयोग के प्रथम प्रतिवेदन व उक्त समिति से प्राप्त सुझावों के समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा की गयी अनुशंसाओं को वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए निम्न रूप में लागू करने का निर्णय लिया गया है: -

1. प्रतिनिधायन (Devolution):

- (क) संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिधायन (Devolution) के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व (Net Own Tax Revenue Receipts - NOTRR) का 4 (चार) प्रतिशत होगा।
- (ख) वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्थानीय निकायों के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अनाच्छादित एकमुश्त बजटीय उपबंध को प्रदत्त प्रतिनिधायन (deemed devolution) की राशि मानते हुए उपर्युक्त फार्मूले के अनुसार हस्तांतरणीय राशि से समायोजन कर अवशेष राशि को स्थानीय निकायों के लिए प्रतिनिधायन किया जायेगा।
- (ग) प्रतिनिधायन की गणना केवल राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व (NOTRR) के आधार पर की जायेगी।
- (घ) प्रतिनिधायन को शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच 40:60 के अनुपात में साझा किया जायेगा।
- (ङ.) शहरी स्थानीय निकायों के बीच उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर हिस्सेदारी होगी जिसमें जनसंख्या को 75 प्रतिशत और क्षेत्र को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दी जायेगी। कुल प्रतिनिधायन में शहरी स्थानीय निकायों के हिस्से की गणना के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार माना जायेगा।
- (च) त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त कुल प्रतिनिधायन का अनुपात निम्नवत् होगा-
- जिला परिषद् - 10 प्रतिशत,
पंचायत समिति - 15 प्रतिशत,
ग्राम पंचायत - 75 प्रतिशत।
- (छ) पंचायती राज संस्थाओं के बीच कुल हस्तांतरित राशि का अंतर्विभाजन - पंचायती राज संस्थाओं के प्रत्येक स्तर में राशि का क्षेत्रीय वितरण परस्पर जनसंख्या और क्षेत्रफल के भारांक (Weightage) के आधार पर किया जायेगा जो क्रमशः 90 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत होगा।

2. स्थानीय निकायों के अंतर्गत व्यय की जानेवाली कुल राशि: उपर्युक्त कंडिका-1 में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए प्रतिनिधायन की राशि ₹1096.70 करोड़ रुपये एवं वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिनिधायन की राशि ₹1115.55 करोड़ रुपये है। तदनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में हस्तांतरित की जानेवाली राशि की गणना निम्न प्रकार है:-

SL NO.	F.Y.	State's Net Own Tax Revenue (T-1) Basis	Local Bodies to get 4% of the State's Net Own Tax Revenue							
			4% of column 3	PRI's to get 60% of column 4	Amount that will be considered as deemed devolution under Budget of corresponding FY of PRIs	Additional Financial Burden for corresponding FY of PRIs (5-6)	ULB's to get 40% of Column- 4	Amount that will be considered as deemed devolution under budget of Corresponding FY of ULBs	Additional Financial Burden for corresponding FY of ULBs (8-9)	Net Financial Burden (7+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2024-25	27416.89	1096.70	658.02	80.00	578.02	438.68	433.37	5.31	583.33
2	2025-26	27888.75	1115.55	669.33	80.00	589.33	446.22	464.52	-18.30	589.33 *
Total		55305.64	2212.25	1327.35	160.00	1167.35	884.90	897.89	-12.99	1172.66

* इस राशि में शहरी स्थानीय निकायों को प्रदत्त अतिरिक्त राशि यथा क्रम संख्या-2, कॉलम 10 का समायोजन नहीं किया गया है।

3. **स्थानीय निकायों को सीधे अंतरित की जानेवाली कुल राशि:-** वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए समिति द्वारा किये गये गणना के अनुसार प्रतिनिधायन की कुल राशि ₹2212.25 करोड़ रुपये परिगणित होती है। संबंधित वित्तीय वर्षों में एकमुश्त हस्तांतरित बजटीय उपबंध को deemed devolution (प्रदत्त प्रतिनिधायन) मानते हुए उक्त दो वर्षों के लिए उपर्युक्त तालिका के अनुसार अवशेष राशि 1172.66 करोड़ का प्रतिनिधायन किया जाएगा। प्रतिनिधायन की राशि स्थानीय निकायों को संबंधित विभाग द्वारा सीधे अंतरित किये जायेंगे। परन्तु किसी वर्ष के लिए वास्तविक आंकड़े प्राप्त होने के उपरांत अंतिम गणना की जायेगी एवं आनुपातिक रूप से प्रस्तावित फार्मूला के आधार पर राशि का समायोजन किया जायेगा।
4. स्थानीय निकायों को विमुक्त की जानेवाली राशि की विमुक्ति प्रतिवर्ष दो किस्तों में वित्त विभाग की सहमति से की जायेगी।
5. राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को तथा नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा संबंधित नगर निकायों को सी0एफ0एम0एस0 के द्वारा Electronic Fund Transfer के माध्यम से सीधे उनके बैंक/पी0एल0 खाता में राशि का अंतरण किया जायेगा।
6. आयोग की अन्य अनुशंसाओं के सापेक्ष समिति के द्वारा गठित सुझावों के अनुसार अग्रतर कार्रवाई की जाएगी।
7. पंचायती राज संस्थाओं को दी जानेवाली राशि पंचायती राज विभाग की मांग संख्या-56 में मुख्य शीर्ष- 2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत विकलनीय होगा। इसी प्रकार शहरी स्थानीय निकायों को दी जानेवाली राशि नगर विकास एवं आवास विभाग के मांग संख्या-48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष - 2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष -80- सामान्य के विभिन्न लघु शीर्षों के अंतर्गत राशि विकलनीय होगा।
8. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 24.09.2025 में मद संख्या 24 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश,

(प्रशांत कुमार)
सचिव

Recommendations of the Committee constituted under Resolution No. 702 dated 25.3.2025 of the Finance Department, Government of Jharkhand, Ranchi for follow-up actions on the Recommendations of the 5th State Finance Commission, Jharkhand.

Sl. No.	Subjects	Recommendations of the 5 th State Finance Commission	Opinion of concerned Department	Recommendations of the Committee
1	2	3	4	5
1	Vertical Devolution ऊर्ध्वाधर प्रतिनिधायन	The 5th SFC of Jharkhand, in its First Report, recommends that 5 per cent of the divisible pool of the state, which is summation of Net Own Tax Revenue Receipts (NOTRR) and Net Own Non-Tax Revenue Receipts (NONTRR) of the state should be devolved to the Local Bodies till the Financial Year (FY) 2025-26. झारखंड के 5वें राज्य वित्त आयोग ने अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की है कि राज्य के विभाज्य पूल का 5 प्रतिशत, जो राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व प्राप्तियों (NOTRR) और शुद्ध स्व गैर-कर राजस्व प्राप्तियों (NONTRR) का योग है, को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।	वित्त विभाग का मंतव्य आयोग की अनुशंसा के आलोक में विभाज्य पूल का स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित 5 प्रतिशत प्रतिनिधायन के वित्तीय भार का अध्ययन किया गया। T-1 Basis पर State's Net Own Revenue Receipt वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 40807.88 करोड़ ₹ तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 42282.23 करोड़ ₹ परिगणित पाया गया। उपर्युक्त के आधार पर स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित 5 प्रतिशत प्रतिनिधायन की राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 2040.39 करोड़ ₹ तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2114.11 ₹ परिगणित हुई। इस प्रकार आयोग की अनुशंसा के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिए कुल प्रतिनिधायन की राशि 4154.50 करोड़ ₹ होती है। उल्लेखनीय है कि स्थानीय निकायों से संबंधित विभाग यथा- पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग का वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट क्रमशः 2143.28 करोड़ ₹ तथा 3475.99 करोड़ ₹ अर्थात् कुल 5619.27 करोड़ ₹ है। इस कुल राशि अन्तर्गत राज्य राजस्व संसाधनों से	समिति वित्त विभाग के मंतव्य से सहमत होकर स्थानीय निकायों के लिए राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व (NOTRR) का 4 प्रतिशत प्रतिनिधायन के फॉर्मूला को लागू करने का सुझाव देती है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्थानीय निकायों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अनाच्छादित एकमुश्त बजटीय उपबंध को प्रदत्त प्रतिनिधायन की राशि मानते हुए उपर्युक्त फॉर्मूले के अनुसार हस्तांतरणीय राशि से समायोजन कर अवशेष राशि को स्थानीय निकायों के लिए प्रतिनिधायन करने का सुझाव देती है।

		पूरित राशि 2872.27 करोड़ रु० है। आयोग द्वारा अनुशंसित 5 प्रतिशत प्रतिनिधायन के फॉर्मूले के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में क्रमशः 2040.39 करोड़ तथा 2114.11 करोड़ अर्थात् कुल राशि रु० 4154.50 करोड़ की व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 अन्तर्गत स्कीम मद में करनी होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष के मध्य में उक्त राशि की व्यवस्था स्कीम मद में संभव प्रतीत नहीं होती है क्योंकि समान राशि का स्कीम मद में प्रत्यार्पण अथवा ऋण पोषण संभव नहीं है। आगामी वित्तीय वर्षों में क्रमिक रूप से 5 प्रतिशत प्रतिनिधायन का लक्ष्य प्राप्त करना व्यावहारिक होगा। राज्यसरकार के विभिन्न महत्वाकांक्षी विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं एवं सरकार के स्व कर राजस्व प्राप्तियों को ध्यान में रखकर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रतिनिधायन के प्रतिशत पर निर्णय लिया जाना उचित होगा है ताकि वित्तीय प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तदनुसार वित्त विभाग का सुझाव है कि राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व (NOTRR) का 4 प्रतिशत का प्रतिनिधायन स्थानीय निकायों के लिए किया जाय। साथ ही, स्थानीय निकायों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अनाच्छादित एकमुश्त बजटीय अनुदान को Notional Devolution मानते हुए 4 प्रतिशत प्रतिनिधायन की परिगणित राशि से Notional Devolution की राशि को घटाकर शेष राशि का हस्तांतरण स्थानीय निकायों को किया जाय। 4 प्रतिशत का प्रतिनिधायन फार्मूला के अनुसार T-1 के आधार पर	
--	--	--	--

			प्रतिनिधायन की राशिवितीय वर्ष 2024-25 के लिए 1096.70 करोड़ ₹ तथा वितीय वर्ष 2025-26 के लिए 1115.55 करोड़ ₹ कुल 2212.25 करोड़ ₹ परिगणित हुई। वितीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में स्थानीय निकायों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से अनाच्छादित एकमुश्त बजटीय अनुदान क्रमशः 513.37 करोड़ तथा 544.52 करोड़ अर्थात् कुल 1057.89 करोड़ को Notional Devolution की राशि मानते हुए उपर्युक्त वर्णित राशि से समायोजन कर अवशेष राशि का स्थानीय निकायों के लिए प्रतिनिधायन किया जाना उपयुक्त प्रतीत होता है। उदाहरणस्वरूप, राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व (NOTRR) का 4 प्रतिशत प्रतिनिधायन के फॉर्मूला के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2024-25 के लिए PRIs हेतु आकलित राशि 658.02 करोड़ ₹ के विरुद्ध एकमुश्त बजटीय अनुदान 80 करोड़ ₹ को Notional Devolution की राशि मानते हुए तदनुसार शेष राशि 578.02 करोड़ ₹ PRIs को हस्तांतरित किया जाना उचित प्रतीत होता है। परिगणना से संबंधित तालिका परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न की गयी है।	
2	Calculation of devolution as a percentage of the divisible pool विभाज्य पुल के प्रतिशत के रूप में प्रतिनिधायन की गणना	The calculation of devolution as a percentage of the divisible pool of the state (NOTRR+NONTRR) will be done on t-1 basis, i.e., the devolution to the local self governments in a year will depend on the summation of the NOTRR and NONTRR of the previous year. राज्य के विभाज्य पूल के प्रतिशत के रूप में प्रतिनिधायन की गणना (शुद्ध स्व कर राजस्व से आय)	<u>वित्त विभाग का मंतव्य</u> वित्त विभाग के द्वारा केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार में प्रतिनिधायन की प्रचलित व्यवस्था का अध्ययन किया गया। केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार में प्रतिनिधायन NOTRR के आधार पर निर्धारित किया जाता है। उपर्युक्त	समिति वित्त विभाग के मंतव्य पर सहमति देते हुए तदनुसार अग्रतर कार्रवाई का सुझाव देती है।

		शुद्ध स्व गैर-कर राजस्व से आय) टी-1आधार पर की जाएगी,अर्थात एक वर्ष में स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरण पिछले वर्ष के शुद्ध स्व कर राजस्व से आय और शुद्ध स्व गैर-कर राजस्व से आय के योग पर निर्भर करेगा।	कंडिका 1के संदर्भ में वित्त विभाग के गठित मंतव्य के सापेक्ष वित्त विभाग का सुझाव है कि प्रतिनिधायन की गणना केवल राज्य के शुद्ध स्व कर राजस्व (NOTRR) के आधार पर की जाय। (द्रष्टव्य कंडिका -1कॉलम-4)	
3	Ratio of devolution between ULB and PRI शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिनिधायन का अनुपात	The 5th SFC recommends that the total devolution should be shared between the ULB and PRI in the ratio of 40:60 for these two years (2024-25 and 2025-26), ie, 40 per cent of the total devolution to be given to the ULBs and 60 per cent to the PRIs. 5वें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि इन दो वर्षों (2024-25और 2025-26)के लिए कुल प्रतिनिधायन को शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच 40:60के अनुपात में साझा किया जाना चाहिए,अर्थात कुल प्रतिनिधायन का 40प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को और 60प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिए।	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> The Urban Development & Housing Department (UD & HD) has no objection on the proposed sharing of devolution between the ULBs and PRIs. नगर विकास एवं आवास विभाग (UD & HD) को शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के बीच प्रतिनिधायन के प्रस्तावित बंटवारे पर कोई आपत्ति नहीं है।	नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में समिति आयोग की अनुशंसा को लागू करने का सुझाव देती है।
4	Distribution among ULBs शहरी स्थानीय निकायों के बीच वितरण	The 5th SFC recommends that among the 49 ULBs, it should be shared on the basis of their population and area, giving 75 per cent weight to the population and 25 per cent weight to their area. The population of 2011 will be taken for calculating the share of the ULB in the total devolution. 5वें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि 49शहरी स्थानीय निकायों के बीच उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर हिस्सेदारी की जानी चाहिए,जिसमें जनसंख्या को 75प्रतिशत और	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> Currently 15th FC grants are allocated to different ULBs by giving 90% weight to their Population and 10% weight to their area. On the other hand state plan funds are allocated to the ULBs by giving 45% weight to population, 45% weight to area (rest 10% is discretionary allocation). As such the department has no objection to the proposed weightages. वर्तमान में 15वें वित्त आयोग द्वारा विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 90%	नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में समिति आयोग की अनुशंसा को लागू करने का सुझाव देती है।

		क्षेत्र को 25प्रतिशत महत्व दिया जाना चाहिए। कुल प्रतिनिधायन में शहरी स्थानीय निकायों के हिस्से की गणना के लिए 2011की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा।	तथा उनके क्षेत्र के आधार पर 10% अनुदान आवंटित किया जाता है। दूसरी ओर,राज्य योजना निधि को शहरी स्थानीय निकायों को जनसंख्या के आधार पर 45%तथा क्षेत्र के आधार पर 45% (शेष 10% विवेकाधीन आवंटन) आवंटित किया जाता है। इस प्रकार विभाग को प्रस्तावित भारों पर कोई आपत्ति नहीं है।	
5	Inter-Se Distribution of devolution among the three tiers of PRI (Ratio) पंचायती राज संस्था के तीन स्तरों के बीच प्रतिनिधायन का पारस्परिक वितरण (अनुपात)	The 5th SFC recommends that the share of the PRI should be distributed among the Zila Parishad (ZP), Panchayat Samiti (PS) and Gram Panchayat (GP) in the ratio of 15: 15:70. i.e., 15 per cent of the share is to be given to the ZP, another 15 per cent to the PS and 70 per cent to the GP. 5वें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं का हिस्सा जिला परिषद,पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच 15:15:70के अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए,अर्थात 15प्रतिशत हिस्सा जिला परिषद को,15प्रतिशत पंचायत समिति को तथा 70प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायत को दिया जाना चाहिए।	<u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनुदान त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को विमुक्त की जा रही है जिसका अनुपात निम्नवत है: जिला परिषद - 10प्रतिशत/ पंचायत समिति - 15 प्रतिशत/ ग्राम पंचायत - 75 प्रतिशत।	पंचायती राज विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में वर्तमान में लागू अनुपात को जारी रखा जा सकता है।
6	Inter-Se Distribution of devolution among the three tiers of PRI (Percentage) पंचायती राज संस्था के तीन स्तरों के बीच प्रतिनिधायन का पारस्परिक वितरण (प्रतिशत)	The 5th SFC recommends that among the ZP, PS and GPs their share in devolution should be distributed on the basis of population and area; assigning 90 per cent of the weight to their population in 1971 and 10 per cent to their area. 5वें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि जिला परिषदों,पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच उनके हिस्से का वितरण जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर किया जाना	<u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> Inter-Se Distribution of Devolution among the three tiers of PRI is carried out in same percentage. पंचायती राज संस्था के तीनों स्तरों के बीच प्रतिनिधायन का पारस्परिक वितरण समान प्रतिशत में किया जाता है।	पंचायती राज विभाग से प्राप्त मंतव्य के आलोक में वर्तमान में लागू प्रतिशत को जारी रखा जा सकता है।

		चाहिए;1971में उनकी जनसंख्या को 90प्रतिशत तथा उनके क्षेत्र को 10प्रतिशत महत्व दिया जाना चाहिए।		
7	Auction and Operation of Balughats under PRIs पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत बालूघाटों की नीलामी एवं संचालन	The 5th SFC recommends that the PRD and the Department of Mines and Geology must coordinate effectively to implement the provisions related with the auction of Balughats at the earliest and the proceeds of it should be distributed between the PRI and the State Government in the ratio of 80:20. 5वें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि पंचायती राज विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग को बालूघाटों की नीलामी से संबंधित प्रावधानों को शीघ्रतिशीघ्र लागू करने के लिए प्रभावी समन्वय करना चाहिए तथा इससे प्राप्त राशि को पंचायती राज संस्थाओं और राज्य सरकार के बीच 80:20केअनुपात में वितरित किया जाना चाहिए।	<u>खान एवं भूतत्व विभाग का मंतव्य</u> बालू खनिज से संबंधित श्रेणी-2 बालूघाट के नीलामी हेतु वर्तमान में नये नियम (Jharkhand Sand Mining Rules,2025)लागू है। वर्तमान में उक्त नियम में पंचायती राज संस्थान तथा राज्य सरकार का 80:20 के अनुपात में Royalty का Distribution का प्रावधान नहीं है। <u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा Non Commercialउद्देश्यों के लिए Category-1Stream के बालूघाट पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया है। पाँच हेक्टेयर तक के बालूघाट की नीलामी ग्राम सभा के अनुमोदन से किये जाने का प्रावधान है। बालूघाट से प्राप्त राजस्व से किये जाने वाले कार्यों के संबंध में मार्गदर्शिका निर्गत नहीं है।	श्रेणी-1के बालूघाटों के नीलामी के संबंध में पंचायती राज विभाग तथा खान एवं भूतत्व विभाग के समन्वय में निर्गत नियमों के अधीन अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में समिति द्वारा सुझाव दिया गया।
8	Transfer of Properties – Additional Stamp Fee संपत्ति का हस्तांतरण - अतिरिक्तस्टाम्प शुल्क	The Department of Revenue, Registration, and Land Reforms is not collecting the additional stamp fee. The State Government should take a decision on this matter and transfer the fund to the PRIs. राजस्व,निबंधन एवं भूमि सुधारविभाग अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क नहींवसूल रहा है। राज्य सरकार को इस मामले में निर्णय लेकर यह राशि पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करनी चाहिए।		संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से स्टाम्प शुल्क के वर्तमान Legal Framework का अध्ययन कर यथा आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में सम्यक विचार करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु सुझाव दिया गया।

9	Professional Taxes व्यावसायिक कर	The 5th SFC recommends that the Department of Commercial Taxes should make efforts to augment the revenue from professional tax by expanding the coverage of this tax. The professionals, who are eligible for this tax but are not paying it, must be identified and brought under the tax net. The professionals living in rural areas or peri-urban areas and eligible for payment of professional taxes should also be taxed. 5 वें राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि वाणिज्य-कर विभाग को इस कर के दायरे को बढ़ाकर व्यावसायिक कर से राजस्व बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। जो पेशेवर इस कर के लिए पात्र हैं, लेकिन इसका भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनकी पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कर के दायरे में लाया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों या अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले व्यावसायिक करों के भुगतान के पात्र पेशेवरों पर भी कर लगाया जाना चाहिए।	<u>वाणिज्य-कर विभाग का मंतव्य</u> 1. अंचल स्तर पर समय-समय पर JPT Registration Camp लगाया जा रहा है। 2. विभिन्न Stake holders(Bar Association, Chamber of Commerce) के साथ Seminar बैठक किया जा रहा है। 3. Bulk Notice to all taxpayers(GSTIN) प्रत्येक वर्ष भेजा जा रहा है साथ ही वैसे व्यवसायी/पेशेवर जिनके द्वारा पेशाकर के अंतर्गत भुगतान नहीं किया गया है, फोन के माध्यम से भुगतान हेतु सूचित किया जा रहा है। 4. अंचल कार्यालय में Help Desk का संचालन किया जा रहा है। 5. अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अस्पताल, निजी विद्यालय, मॉल, कोचिंग सेंटर, प्रशिक्षण केन्द्रों, शैक्षणिक संस्थानों, मैरेज हॉल, नर्सिंग होम को JPT निबंधन हेतु प्रयास किया जा रहा है। 6. कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निबंधित कंपनी के निदेशक या Partnership अधिनियम 1932 के तहत निबंधित पार्टनर को JPT के दायरे में लाने हेतु सम्पर्क किया जा रहा है। 7. GST/VAT में निबंधित परन्तु JPT में अनिबंधित व्यवसायियों को JPT के परिधि में लाने हेतु प्रयास किया जा रहा है।	प्रशासी विभाग के द्वारा पूर्व से इस क्षेत्र में कार्रवाई की जा रही है। अतः आयोग की अनुशंसा पर किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।
---	---	---	--	---

			8. डॉक्टर/मेडिकल प्रैक्टिशनर्स/चार्टर एकाउण्टेंट का निबंधन का कार्य किया जा रहा है। 9. Service Sector के व्यवसायी जो JPT के दायरे से बाहर हैं उन्हें इस परिधि में लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।	
10	Distribution of Professional Tax व्यवसायिक कर का वितरण	Of the total collection of professional tax, 40 per cent should be allocated to ULB and 60 per cent to PRI. व्यावसायिक कर के कुल संग्रह में से 40प्रतिशत शहरी स्थानीय निकायों को तथा 60प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित किया जाना चाहिए।		संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से व्यावसायिक कर के वर्तमान Legal Framework का अध्ययन कर अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ यथा आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में सम्यक विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु सुझाव दिया गया।
11	Inter-Se Distribution of Professional Tax व्यावसायिक कर का पारस्परिक वितरण	Among the ULBs it should be distributed on the basis of their population and area, giving 75 per cent weight to population and 25 per cent to area. Among PRIs it has to be allocated to the GPs only. Among the GPs it should also be distributed on the basis of population and area, giving 90 per cent weight to population and 10 per cent to area. शहरी स्थानीय निकायों के बीच इसे उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर वितरित किया जाना चाहिए, जिसमें जनसंख्या को 75प्रतिशत और क्षेत्र को 25प्रतिशत महत्व दिया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के बीच इसे केवल ग्राम पंचायतों को आवंटित किया जाना चाहिए। ग्राम पंचायतों के बीच भी इसे जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर वितरित किया जाना	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> The department has no objection to the recommended devolution of professional taxes. विभाग को व्यावसायिक करों के अनुशंसित हस्तांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। <u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> As of now there is no such tax being collected, hence it is not distributed. Whenever such tax would be generated due consideration would be given to the recommendation. अभी तक ऐसा कोई कर नहीं वसूला जा रहा है, इसलिए इसे वितरित नहीं किया जा रहा है। जब भी ऐसा कर सृजित होगा, सिफारिश पर उचित विचार किया जाएगा।	संबंधित प्रशासी विभाग के स्तर से व्यावसायिक कर के वर्तमान Legal Framework का अध्ययन कर अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ यथा आवश्यक संशोधन आदि के संबंध में सम्यक विचार करते हुए अग्रेतर कार्रवाई हेतु सुझाव दिया गया।

		चाहिए,जिसमें जनसंख्या को 90प्रतिशत और क्षेत्र को 10प्रतिशत महत्व दिया जाना चाहिए।		
12	Honorarium of GP level elected representatives ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय	The honorarium of GP-level elected representatives may be reconsidered, with view for the upward revision up to 100%. The payment of Honorarium be streamlined in such a way that it should be paid regularly. ग्राम पंचायत स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय पर पुनर्विचार किया जा सकता है,ताकि 100% तक की वृद्धि की जा सके। मानदेय के भुगतान को इस तरह से सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए कि इसका भुगतान नियमित रूप से किया जा सके।	<u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> Proposal of increase in the honorarium of elected representatives is under consideration. निर्वाचित प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव विचाराधीन है।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है,अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
13	OSR for the ULBs Increasing collection from Property Tax शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व के अन्य स्रोत - संपत्ति कर से संग्रह में वृद्धि	The Commission recommends that a special drive should be launched to map all commercial properties/ activities for realization of property tax. आयोग ने सिफारिश की है कि संपत्ति कर की वसूली के लिए सभी वाणिज्यिक संपत्तियों / गतिविधियों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाना चाहिए।	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> The Department is in the process of mapping the properties in Urban areas on GIS platform. GIS mapping of properties will enable the Department not only in rationalizing the property tax collection but also will aid in improvement of property taxes. The RFP for hiring GIS mapping consultants has already been drafted and will be floated after getting approvals from the competent authority. It is worth to mention that there is a significant growth in assessment of properties in 2016-17 to 10.71 lakh properties by 10th May 2025. Also, the revenue from property tax collection has been increased significantly from Rs. 10.35 crore in the year 2013-14 to 220.50 crore in the year 2023-24. विभाग शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों की जीआईएस प्लेटफॉर्म पर मैपिंग करने की प्रक्रिया में है। संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग से विभाग को न केवल संपत्ति कर संग्रह को तर्कसंगत	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है,अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

			बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि संपत्ति करों में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। जीआईएस मैपिंग सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए आरएफपी का मसौदा पहले ही तैयार किया जा चुका है और सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने के बाद इसे जारी किया जाएगा। यह उल्लेख करना उचित है कि 2016-17 की तुलना में संपत्तियों के मूल्यांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और 10 मई 2025 तक 10.71 लाख संपत्तियां हो गई हैं। साथ ही, संपत्ति कर संग्रह से राजस्व वर्ष 2013-14 में 10.35 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 220.50 करोड़ हो गया है।	
14	Comprehensive Database for property tax संपत्ति कर के लिए व्यापक डाटाबेस	The Commission recommends that to ensure comprehensive property tax management, all holdings be incorporated into the database regardless of their tax exempt status. आयोग ने सिफारिश की है कि व्यापक संपत्ति कर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए, सभी संपत्तियों को उनकी कर छूट स्थिति की परवाह किए बिना डाटाबेस में शामिल किया जाना चाहिए।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य The Department has dedicated online platform for collection of property taxes. All holdings irrespective of their exemption status are integrated in the online platform. विभाग ने संपत्ति करों के संग्रह के लिए एक समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है। सभी होल्डिंग्स को उनकी छूट स्थिति के बावजूद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
15	Use of GIS in determining property tax संपत्ति कर निर्धारण हेतु जी.आई.एस का उपयोग	The Commission recommends use of Geographical Information System (GIS) for property tax assessment. आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के उपयोग की सिफारिश की है।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation (AMRUT 2.0), a flagship program of Govt. of India also encourages the State for GIS mapping of properties for rationalization of property tax collection and improved tax collection. In this regard, the Department has already drafted an RFP for hiring GIS consultants. The RFP will be floated	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

			after getting necessary approvals from the competent authority. भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम, अमृत 2.0 भी राज्य को संपत्ति कर संग्रह को युक्तिसंगत बनाने और कर संग्रह में सुधार के लिए संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग के लिए प्रोत्साहित करता है। इस संबंध में, विभाग ने पहले ही जीआईएस सलाहकारों को नियुक्त करने के लिए एक आरएफपी का मसौदा तैयार कर लिया है। सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आरएफपी जारी किया जाएगा।	
16	Property Tax Board संपत्ति कर बोर्ड	The commission recommends that the Jharkhand State Property Tax Board be constituted and made functional in the FY 25-26. आयोग ने अनुशंसा की है कि झारखंड राज्य संपत्ति कर बोर्ड का गठन किया जाए और वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे क्रियाशील बनाया जाए।	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> Wider consultation with various stakeholders is being undertaken for constituting the State Property Tax Board. राज्य संपत्ति कर बोर्ड के गठन के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श किया जा रहा है।	प्रशासी विभाग का आवश्यकता का आकलन एवं सम्यक विचार कर आगे की कार्रवाई हेतु राज्य सरकार का आदेश प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
17	Interdepartmental Co-ordination to resolve dispute विवाद के निस्तारण हेतु अंतर विभागीय समन्वय	The commission recommends that the dispute for the collection of holding/property tax, water charges, etc., from the units of industrial area authority, market committee, etc., which falls under the Municipal boundaries, should be resolved through interdepartmental coordination meetings. आयोग ने अनुशंसा की है कि नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण, बाजार समिति आदि की इकाइयों से होल्डिंग/संपत्ति कर, जल शुल्क आदि की वसूली के लिए विवादों का समाधान	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> Most of such disputes are currently being dealt with by district level field offices and ULBs. When such disputes are highlighted to the department, the department also plays an active role in resolving them. However, if it is required, the dispute will also be resolved through inter-departmental co-ordination meetings. इस तरह के अधिकांश विवादों का निपटारा वर्तमान में जिला स्तरीय क्षेत्रीय कार्यालयों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जा रहा है। जब ऐसे विवादों को विभाग के समक्ष रखा	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

		अंतर्विभागीय समन्वय बैठकों के माध्यम से किया जाना चाहिए।	जाता है, तो विभाग भी उन्हें सुलझाने में सक्रिय भूमिका निभाता है। हालांकि, यदि आवश्यक हुआ तो अंतर-विभागीय समन्वय बैठकों के माध्यम से भी विवाद का समाधान किया जाएगा।	
18	Trade license व्यापार अनुज्ञप्ति	An organized campaign should be launched to cover 100% commercial holdings under the ambit of trade license. The UD&HD must act upon the JMA (amendment) Act 2021. It must initiate immediate actions and must take steps to notify new rates. व्यापार लाइसेंस के दायरे में 100% वाणिज्यिक होल्डिंग को शामिल करने के लिए एक संगठित अभियान शुरू किया जाना चाहिए। नगर विकास एवं आवास विभाग को JMA(amendment) Act 2021 पर काम करना चाहिए। इसे तत्काल कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और नई दरों को अधिसूचित करने के लिए कदम उठाने चाहिए।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य For notification of revised trade license rates, the Department is undertaking stakeholder consultations, including the study of trade license rates being charged by other State Governments. After stakeholder consultation, the Department will do the needful for notification of new trade license rates. संशोधित व्यापार लाइसेंस दरों की अधिसूचना के लिए, विभाग हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है, जिसमें अन्य राज्य सरकारों द्वारा लगाए जा रहे व्यापार लाइसेंस दरों का अध्ययन भी शामिल है। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, विभाग नई व्यापार लाइसेंस दरों की अधिसूचना के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
19	Collection from advertisement tax विज्ञापन कर से संग्रह	The UD & HD is advised to make new and comprehensive regulations for the state with the flexibility of advertisement rates at prominent places with specific formulas. नगर विकास एवं आवास विभाग को राज्य के लिए नए और व्यापक नियम बनाने की सलाह दी गई है, जिसमें विशिष्ट फार्मूले के साथ प्रमुख स्थानों पर विज्ञापन दरों में लचीलापन हो।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य Publication of a comprehensive advertisement regulations is one of the key targets of the Department. The regulation is presently at draft stage and would be finalized in the time ahead. विभाग का एक प्रमुख लक्ष्य व्यापक विज्ञापन विनियमन का प्रकाशन करना है। विनियमन अभी प्रारूप चरण में है और इसे आने वाले समय में अंतिम रूप दिया जाएगा।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

20	Implementation of JMA to improve OSR अन्य राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के लिए झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम का क्रियान्वयन	Many taxes and fees are not being collected by the ULBs, as mentioned under the JMA. UD & HD are directed to enlist all such items, frame the comprehensive rules, and ensure that all the provisions of the JMA must be implemented, which may improve the OSR of the ULBs. These steps will reduce the dependence of ULB on the state government. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के तहत बताए गए कई कर और शुल्क शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा एकत्र नहीं किए जा रहे हैं। नगर विकास एवं आवास विभाग को ऐसे सभी मदों को सूचीबद्ध करने, व्यापक नियम बनाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम के सभी प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए, जिससे शहरी स्थानीय निकायों के अन्य राजस्व स्रोतों में सुधार हो सकता है। इन कदमों से शहरी स्थानीय निकायों की राज्य सरकार पर निर्भरता कम होगी।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य The department is in the process of identifying the areas where taxes can be levied for improvement of OSR. For framing the rules, the Department is doing wider consultation with stakeholders. After consultation process, the rules will be drafted. विभाग उन क्षेत्रों की पहचान करने की प्रक्रिया में है, जहां अन्य राजस्व स्रोतों में सुधार के लिए कर लगाया जा सकता है। नियम बनाने के लिए विभाग हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श कर रहा है। परामर्श प्रक्रिया के बाद, नियमों का प्रारूप तैयार किया जाएगा।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
----	--	--	---	---

21	Appointment of Municipal Ombudsman. नगर लोकपाल की नियुक्ति	The commission recommends that the Municipal Ombudsman should be appointed at the earliest. This will ensure accountability of the Municipal Authorities आयोग ने सिफारिश की है कि नगर निगम लोकपाल की नियुक्ति जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इससे नगर निगम अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य It is under consideration of the Department and after consulting the relevant stakeholders, a decision in this regard will be taken. यह मामला विभाग के विचाराधीन है और संबंधित हितधारकों से परामर्श के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
22	Social Audit सामाजिक अंकेक्षण	The commission recommends that the practice of social audits should be introduced in the ULBs and PRIs. आयोग ने सिफारिश की है कि शहरी स्थानीय निकायों और	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य It is under consideration of the Department and a decision will be taken after wider consultations.	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य

		पंचायती राज संस्थाओं में सामाजिक लेखा-परीक्षण की प्रथा शुरू की जानी चाहिए।	यह विभाग के विचाराधीन है और व्यापक विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया जाएगा।	कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
23	Strengthening Standing Committee स्थायी समिति का सुदृढ़ीकरण	There is a provision for a Standing Committee at all three levels of PRIs. The standing committee be made fully functional by providing adequate training and handholding and ensuring digital monitoring of the meeting minutes by the state HQ. The necessary infrastructure may be created for the same, and SFC resources can be used to fill the gaps and to create necessary infrastructure. पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर स्थायी समिति का प्रावधान है। स्थायी समिति को पर्याप्त प्रशिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करके तथा राज्य मुख्यालय द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करके पूरी तरह कार्यात्मक बनाया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाया जा सकता है, तथा राज्य वित्त आयोग के संसाधनों का उपयोग अंतराल को भरने और आवश्यक बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए किया जा सकता है।	पंचायती राज विभाग का मंतव्य Basic induction training of the Standing Committee has been conducted focusing on their roles and responsibilities. स्थायी समिति के सदस्यों को उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी प्रशिक्षण दिया गया है।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
24	Restructuring of the PRI-Human Resource and Training पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन-मानव संसाधन और प्रशिक्षण	Restructuring of the PRI-Human Resource from state to GP level must be undertaken immediately, and a comprehensive, need-based post for the workforce must be created and filled in a phased manner. The existing manpower must be given adequate training and skill upgradation to make them proficient in digital work and financial work राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर	पंचायती राज विभाग का मंतव्य The post of Panchayat Sevak and PESA Mobiliser who are selected at GP as per need has already been done and are functional at GP level. पंचायत सेवक और PESA Mobiliser का पद, जिन्हें आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर चुना जाता है, पहले ही किया जा चुका है और वे ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत हैं।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

		तक पंचायती राज संस्थाओं के मानव संसाधन का पुनर्गठन तुरंत किया जाना चाहिए, तथा कार्यबल के लिए एक व्यापक, आवश्यकता-आधारित पद सृजित किया जाना चाहिए तथा चरणबद्ध तरीके से भरा जाना चाहिए। मौजूदा मानव बल को डिजिटल कार्य और वित्तीय कार्य में कुशल बनाने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन का कार्य किया जाना चाहिए।		
25	Capacity Building सामर्थ्य संवर्धन	To prepare an annual training calendar for the training of elected representatives, officials and employees jointly and separately to make them fully conversant in the subject which they are dealing with. The necessary vacancies with quality manpower be filled at the training institute, RGSA and JGSS. Make interdepartmental collaborations to make the best use of training infrastructure by signing MoU, e.g., UD&HD, and others निर्वाचित प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग प्रशिक्षण देने के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करना ताकि उन्हें संबंधित विषय में पूरी तरह से जानकार बनाया जा सके। प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और झारखण्ड ग्राम स्वराज सोसायटी में गुणवत्तापूर्ण जनशक्ति के साथ आवश्यक रिक्तियों को भरा जाना चाहिए। नगर विकास एवं आवास विभाग तथा अन्य के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करके प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग करने के	<u>नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य</u> To make the Urban Local Bodies self-sustainable, capacity building of public representatives, officials & Staffs is essential. For robust capacity building, the Department has done MoU with two renowned institutions of India, namely, All Indian Institute of Local Self Government (AIILSG), Delhi and Engineering Staff College of India (ESCI), Hyderabad. The Department prepares the annual training calendar for ULBs based on their requirements and trains them through aforesaid institutions. शहरी स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों का क्षमता निर्माण आवश्यक है। मजबूत क्षमता निर्माण के लिए, विभाग ने भारत के दो प्रतिष्ठित संस्थानों, अर्थात् अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (एआईआईएलएसजी), दिल्ली और इंजीनियरिंग स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ईएससीआई), हैदराबाद के साथ समझौता ज्ञापन किया है।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

		लिए अंतर-विभागीय सहयोग किया जाय।	विभाग शहरी स्थानीय निकायों के लिए उनकी आवश्यकताओं के आधार पर वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर तैयार करता है और उन्हें उपरोक्त संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित कराता है।	
26	Adhering principles of Subsidiarity, Democratic Decentralisation and Citizen-Centric Governance अधीनस्थता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और नागरिक-केंद्रित शासन के सिद्धांतों का पालन करना	To ensure effective decentralization, the framework must adhere to the principles of Subsidiarity (assigning responsibilities to the lowest competent level), Democratic Decentralization (empowering PRIs to make decisions independently), and Citizen-Centric Governance (ensuring PRI decisions directly benefit the people they serve). Implementing these principles will strengthen local self-governance and making PRIs truly autonomous and accountable to their constituencies. प्रभावी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए, ढांचे को सब्सिडियरी (सबसे कम सक्षम स्तर को जिम्मेदारियाँ सौंपना), लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (पीआरआई को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाना) और नागरिक-केंद्रित शासन (यह सुनिश्चित करना कि पीआरआई के निर्णय सीधे उन लोगों को लाभान्वित करें जिनकी वे सेवा करते हैं) के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। इन सिद्धांतों को लागू करने से स्थानीय स्वशासन मजबूत होगा और पीआरआई वास्तव में स्वायत्त और अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रति जवाबदेह बनेंगे।	<u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> Except allocation of funds, all the power of decision taking has been devolved to the lowest competent citizen centric governance level. धन के आवंटन को छोड़कर, निर्णय लेने की सारी शक्ति सबसे निचले स्तर के सक्षम नागरिक-केंद्रित शासन स्तर को सौंप दी गई है।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

27	PMU at the State Level राज्य स्तर पर पीएमयू का गठन	The PRD may consider setting up a PMU at the State level with a digital platform to ensure proper planning without the overlap of resources and activities. The development plan is prepared to speed up the developmental process in a sustainable manner. पंचायती राज विभाग राज्य स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ पीएमयू स्थापित करने पर विचार कर सकता है ताकि संसाधनों और गतिविधियों के ओवरलैप के बिना उचित योजना सूत्रण सुनिश्चित किया जा सके। विकास योजना विकास प्रक्रिया को संपोषणीय गति देने के लिए तैयार की जाती है।	<u>पंचायती राज विभाग का मंतव्य</u> PMU adhering to issues is already functional in PRD to ensure proper planning in order to speed-up developmental process of different aspects in a sustainable manner. विकास प्रक्रिया को सतत रूप से गति देने के लिए उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु पंचायती राज विभाग में पीएमयू पहले से ही कार्यशील है।	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।
28	Checking financial leakage pertaining to GST and Royalty TDS जीएसटी और रॉयल्टी टीडीएस से संबंधित वित्तीय रिसाव की जांच करना	A consultative, coordinated, and joint effort must be undertaken under the chairmanship of the Department of Finance. This initiative should study the current system with all the stakeholders (e.g., Department of Commercial Tax, Mines and Geology, Labour and employment and skill development alongwith the Rural development, Panchayati Raj, ST/SC/OBC and minority welfare, etc.) and propose a robust mechanism to ensure 100% tax recovery in the coming financial years FY 2025-26 onwards. वित्त विभाग की अध्यक्षता में एक परामर्शी, समन्वित और संयुक्त प्रयास किया जाना चाहिए। इस पहल में सभी हितधारकों (जैसे, वाणिज्य कर, खान और भूतत्व, श्रम और रोजगार और कौशल विकास विभाग के साथ-साथ ग्रामीण विकास, पंचायती राज, एसटी/एससी/ओबीसी और अल्पसंख्यक कल्याण आदि विभाग) के साथ मौजूदा प्रणाली का अध्ययन किया जाना चाहिए और आने वाले वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2025-26) से 100% कर	वाणिज्य-कर विभाग:- 1. JST, 2017 के तहत निबंधित करदाताओं के द्वारा दाखिल विवरणी एवं उनके द्वारा निर्गत E-way bill की जांच की जा रही है। वैसे करदाताओं जो Bulk E-way bill निर्गत कर रहे हैं उनके द्वारा किए जाने वाले खरीद एवं बिक्री की जांच की जा रही है। 2. विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा की गयी स्रोत की कटौती एवं संवेदकों द्वारा दाखिल की गयी विवरणी की त्रिर्यक जांच की जा रही है। 3. रॉयल्टी की वास्तविक प्राप्ति के बिन्दु पर जिला खनन विभाग से सम्पर्क कर उक्त बिन्दु पर जांच की कार्रवाई की जा रही है। 4. विभिन्न प्रखण्डों से मनरेगा के अधीन किए गए कार्य एवं भुगतान का ब्योरा प्राप्त कर उसका त्रिर्यक जांच संबंधित	प्रस्तुत मामले में प्रशासी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, अतएव आयोग की अनुशंसा पर तत्काल किसी अन्य कार्रवाई की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

		वसूली सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र का प्रस्ताव करना चाहिए।	आपूर्तिकर्ताओं/कार्य संवेदकों द्वारा दाखिलविवरणियों से की जा रही है। 5.Mining/TDS/GST on Royalty के लिए अंचल द्वारा GST Evasion की रोकथाम से संबंधित कार्रवाई की जा रही है। खान एवं भू-तत्व विभाग:- JIMMS Portal पर खनिज प्रेषण हेतु अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान का Verification के उपरान्त जिला खनन पदाधिकारी द्वारा परमिट का Approval दिया जाता है।	
29	Adherence to Annual Audits to comply JMA झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम का अनुपालन करने के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा का अवलंबन	The commission recommends that action be initiated immediately to make the DLFA fully functional, and the DLFA must perform the function mentioned in the JMA 2011, JLFA (amend) 2012 and the mandate by the Finance department. The DLFA must place the audit report of ULB for FY 25-26 before the Jharkhand assembly in FY 26-27 आयोग ने सिफारिश की है कि स्थानीय कोष अंकेक्षण निदेशक को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए, और स्थानीय कोष अंकेक्षण निदेशक को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011, झारखण्ड स्थानीय कोष अंकेक्षण (संशोधन) अधिनियम 2012 के अधीन दिए गए आदेश में उल्लिखित कार्य करना चाहिए। स्थानीय कोष अंकेक्षण निदेशक को वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए शहरी स्थानीय निकाय की ऑडिट रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 26-27 में झारखंड विधानसभा के समक्ष रखनी चाहिए।	नगर विकास एवं आवास विभाग का मंतव्य This recommendation requires wider deliberation among multiple departments. After the deliberations, a decision in this regard will be taken. इस सिफारिश पर विभिन्न विभागों के बीच व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है। विचार-विमर्श के बाद इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।	आयोग की अनुशंसा पर प्रशासी विभाग को सम्यक विचार कर आगे की कार्रवाई हेतु राज्य सरकार का आदेश प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।

(ह०/-)

विशेष सचिव,
वित्त विभाग -सह-
सदस्य सचिव

(ह०/-)

सचिव,
योजना एवं विकास
विभाग -सह- सदस्य

(ह०/-)

सचिव,
पंचायती राज
विभाग-सह-सदस्य

(ह०/-)

सचिव,
वित्त विभाग -सह-
सदस्य

(ह०/-)

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं
आवास विभाग -सह-
सदस्य

(ह०/-)

विकास आयुक्त,
झारखंड-सह-
अध्यक्ष
